

प्रथम पत्रक

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह जिला - बोकारो।

नीलाम पत्र मुकदमा सं० - 16/22-23

केनरा बैंक, जौनापोड

सर्टिफिकेट होल्डर

श्री प्रवेश कुमार सिन्हा

बनाम

सर्टिफिकेट डेब्टर

अनुसूची - 14 फारम सं० - 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
29.03.23	प्रबंधक सह अधियानी पदाधिकारी, केनरा बैंक, जौनापोड के द्वारा देनदार श्री प्रवेश कुमार सिन्हा पिता - श्याम लाल प्रो सिन्हा, पता - बौबरीह, थाना - जरीडीह, बोकारो जिला बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि 27794/- रुपये वसूली हेतु पी0डी0आर0 एक्ट के तहत प्रपत्र 2 में अधियाचना पत्र दाखिल किया है। साथ ही कार्ट फी 2960/- रुपया दाखिल किया है। जिसकी विवरणी निम्न है 24834 + 2960 = 27794/- अधियाचना पत्र परिपूर्ण है। बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार को धारा 7 पी0डी0आर0 एक्ट के अधीन विधीवत सूचना निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 18/04/2023 को उपस्थापित करे। नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह।	अग्रिम में संलग्न ① Form - 1 ② Form - 11 ③ Check List ④ Court Affidavit
21/06/24	अभिलेख (7) उपस्थापित। अतः प्रबंधक केनरा बैंक जौनापोड ने बौबरीह-2 के श्री प्रवेश कुमार सिन्हा की राशि प्रपत्र 2 में दाखिल किया गया है। एनएल एक्ट के तहत है। Certificate holders अधिवेशन के आदेश पर Certificate case कोर्ट को दाखिल है। नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह।	